मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा.क. 162/कृषि भूमि/2024 / 6517 भोपाल दिनांक 4/11/24

//वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी की सूचना//

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 के अंतर्गत वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी केवल कृषि प्रायोजन हेतु कराई जाना है। वक्फ कृषि भूमि वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक नीलामी पट्टे/लीज़/तौजी/किराये हेतु एक फसल पर देने की कार्यवाही कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल मुख्यालय से खुली बोली के आधार पर की जावेगी। जिन ज़िलों की वक्फ कृषि भूमियों की पृथक पृथक वक्फवार नीलामी की जाएगी इसके खसरा नम्बर, भूमि का रकबा नीलामी की न्यूनतम रिर्ज़व प्राईज़ एवं धरोहर राशि की जानकारी कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड की **website: www.mpwaqfboard.org** पर देखी जा सकती है, तथा एक सूची म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल के कार्यालय के सूचना पटल पर कार्य दिवस में भी देखी जा सकती है। वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी निम्न तालिका अनुसार कराई जाएगी।

क्रमांक	दिनांक	तहसील एवं ज़िला	समय
1	11.11.2024	ग्राम राजमऊ तहसील गोहरगंज ज़िला रायसेन	प्रातः 10:00 बजे से
2	11.11.2024	तहसील कुरवाई, तहसील पठारी ज़िला विदिशा	प्रातः 12:00 बजे से

<u>नीलामी की शर्ते</u>

1. प्रत्येक कृषि भूमि की नीलामी न्यूनतम रिर्ज़व प्राईज़ के अनुसार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टो पर दी जावेगी।
2. कृषि भूमि नीलामी में सफल व्यक्ति को नीलामी की निर्धारित सम्पूर्ण राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सात दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
3. नीलामी में असफल व्यक्तियों की आरक्षित राशि का प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलतः वापस कर दिया जावेगा।
4. नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश असमर्थता जताई जाती है तो बोली में सम्मिलित दूसरे सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टे पर आवंटित कर दी जावेगी।
5. कृषि भूमि की नीलामी की कार्यवाही को कराने अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल को होगा।
6. वक्फ कृषि भूमियों मे से किसी भी वक्फ कृषि भूमि के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वक्फ बोर्ड के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश अथवा कोई निर्णय है अथवा राजस्व रिकार्ड में वक्फ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज है तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति/संस्था नीलामी प्रक्रिया से पूर्व न्यायालीन आदेश की प्रति से साथ म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल में उपस्थित होकर कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चत करें जिससे ऐसी सम्पत्तियों को नीलामी प्रक्रिया से पृथक किया जा सके।
7. नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिये न्यूनतम रिर्ज़व राशि की 25 प्रतिशत आरक्षित राशि म.प्र वक्फ बोर्ड के पक्ष में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक अथवा बोर्ड कार्यालय में नगद जमा की जा सकती है।
8. वक्फ कृषि भूमि अथवा वक्फ सम्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के बकायादार/डिफाल्टर जिससे वक्फ से संबंधित राशि की वसूली की जा रही है अथवा की जाना है ऐसे व्यक्ति/संस्था कृषि भूमि नीलामी में भाग नही ले सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल।